ई-मेल

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 217/XV , फर्रुखाबाद : दिनांक : मई 23, 2020

विषय : माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 20.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 20.05.2020 में कम संख्या IV पर दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आज दिनांक 23.05.2020 तक जनपद फर्रुखाबाद में कोरोना पाजिटिव मरीजों की कुल संख्या 22 हो गयी है। जनपद फर्रुखाबाद में जोन की अद्यतन स्थिति को स्पष्ट करने हेतु जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को पत्र संख्या 910/XV, दिनांकित 20.05.2020 प्रेषित किया गया है। आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के पत्रांक 5423/ओ0एस0डी0-20 (कोरोना), दिनांकित 12.05.2020 से प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद को ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है। कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा प्रेषित सूचना दिनांकित 21.05.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद, वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज एवं लोको स्थित न्यायालय ए0सी0जे0एम0, रेलवे परिसर कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं, जिसके आधार पर आज दिनांक 23.05.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में ऑरेंज जोन के अन्तर्गत दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए विभिन्न 16 मूल न्यायालयों ओपन कोर्ट व वर्चुअल कोर्ट रूम की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, फर्रुखाबाद की आख्या दिनांकित 23.05.2020 के अनुसार दिनांक 23.05.2020 को इस अधिष्ठान में ऑरेन्ज जोन के अन्तर्गत दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न 16 न्यायालय व कार्यालय संचालित किये जा रहे हैं। दिनांक 23.05.2020

को चतुर्थ शनिवार होने के कारण न्यायिक अधिकारीगण अवकाश पर रहे, आज दिनांक 23.05.2020 को न्यूनतम तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण (60 कर्मचारीगण) द्वारा कार्य सम्पादित किया गया।

केन्द्रीय नाजिर की आख्या दिनांकित 23.05.2020 के अनुसार न्यायालय खुलने से पूर्व न्यायालय परिसर की साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन का कार्य किया गया। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का मुख्य द्वार पर थर्मल स्केनर से चेक-अप किया गया तथा उपस्थित सभी लोगों द्वारा सामाजिक दूरी रखकर व मास्क लगाकर कार्य किया गया। आज दिनांक 23.05.2020 को न्यूनतम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (24 कर्मचारीगण) द्वारा कार्य सम्पादित किया गया। सम्बन्धित विवरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये बेवलिंक पर अपलोड कर दिया गया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त कोरोना वायरस (कोविड-19) सैम्पल दैनिक रिपोर्ट दिनांकित 23.05.2020 के अनुसार जनपद में दैनिक कोरोना टेस्ट की संख्या 45, कोरोना टेस्ट की कुल संख्या 1054, टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट की कुल संख्या 1006, अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या 48, **पाजिटिव पाये गये मरीजों की संख्या 22**, निगेटिव पाये गये मरीजों की संख्या 984 तथा आज प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 27 है। आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि वांछित आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(सुभाष चन्द)
जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।
23.05.2020

पत्रांक : / , **फर्रुखाबाद : दिनांक : मई** , **2020**

प्रतिलिपि :- निजी सचिव/उपनिबन्धक (माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, फर्रुखाबाद परिक्षेत्र), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
संलग्नक : यथोपरि।

जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

मा० जनपद न्यायाधीश

फर्रुखाबाद।

कोरोना वायरस (कोविड–19) सैम्पल दैनिक रिपोर्ट जनपद–फर्रुखाबाद(दिनाक–23.05 2020)

जनपद का नाम	दैनिक कोरोनाटेस्ट की संख्या	कोरोना टेस्ट की कुल संख्या	टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जॉच रिपोर्ट की कुल संख्या	अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या	पॉजटिव पाये गये मरीजो की संख्या	निगेटिव पाये गये मरीजो की संख्या	आज की प्राप्त रिपोर्ट की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
फर्रुखाबाद	45	1054	1006	48	22	984	27

11:25 A.M.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

फर्रुखाबाद